विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

तारांकित प्रश्न संख्या :– 07

दिनांक :– 19.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री एस.के. बग्गा

क्या उप–मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी निजी गैर सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 25 प्रतिशत निशुल्क सीटें कमजोर वर्ग और डिसएडवांटेजिज ग्रुप (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए आरक्षित की जानी हैं;	जी हॉ, यह सत्य है।
(ख) यदि हां, तो इन प्रावधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2018–19 के लिए सीटों के ब्रेकअप का विस्तृत विवरण क्या है;	नर्सरी – 20514 के.जी.– 5800 कक्षा 1 – 19349 ———————— कुल – 45663* *(इन सीटों में 2017–18 की रिक्त 6193 सीटें भी सम्मिलित हैं।)
(ग) विभिन्न स्कूलों में अभी भी खाली पड़ी सीटों का विवरण क्या है;	6193 यह सीटें आने वाले शिक्षा सत्र के लिये होने वाली लॉटरियों में जोड़ दी जा रही हैं।
(घ) शिक्षा निदेशालय ने इन प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; (ड़) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;	DSEAR, 1973 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय (Except Minority) और अस्थायी रूप से आर. टी.ई., 2009 से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकृत ड्रा के द्वारा EWS/DG Category के दाखिले कक्षा नर्सरी, के.जी. और कक्षा 1 में कराये जाते हैं तथा संबंधित स्कूल को निर्देश दिये गये हैं कि ड्रा में सफल उम्मीदवारों को दाखिला दें और इस प्रकिया पर पूर्ण रूप से दृष्टि रखी जाती है।
(च) क्या शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूलों के इस दावे की पुष्टि करने के लिए कि 'अभिभावकों ने रिपोर्ट नहीं किया', कोई जांच या वेलिडेशन किया है;	जिला स्तर पर संबंधित अभिभावकों से दूरभाष पर संपर्क करके पुष्टि की जाती है।
(छ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित स्कूलवार विवरण क्या है; और	समय समय पर ऐसे सफल उम्मीदवारों जिनको स्कूल द्वारा "दाखिला नहीं लिया" दिखाया जाता है, उन उम्मीदवारों के अभिभावकों से उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर संपर्क करके यह पता लगाया जाता है कि स्कूल का दावा सही है या नहीं।
(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?	उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता।